प्रकरण सं – 92/2016

दायर दिनांक 19.08.2016

निर्णय दिनांक 31.12.2018

श्री अमरा पिता होमजी मीणा निवासी भाटपुर तहसील व जिला डूँगरपुर

—— वादीगण

बनाम

श्री राजस्थान सरकार जरिए भूमिधारी तहसीलदार डूंगरपुर

——प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा एवं दुरूस्ती ईन्द्राज अन्तर्गत धारा 88राज. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1– श्री लालसिंह चुण्डावल– वकील वादी

2– पेरोकार सरकार – प्रतिवादी

–: निर्णय :–

प्रकरण का संक्षिप्त मे विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया कि ग्राम भाटपुर में ग्राम नवाडेरा के पटेलान की कर्षि भूमि थी जिस पर ग्राम भाटपुर के काश्तकार अपने पूर्वजो के समय से काश्त काबिज चले आ रहे थे। उक्त भूमि को लेकर ग्राम भाटपुर के आदिवासी एवं नवाडेरा के पटेलान काश्तकारो में लम्बे समय से विवाद चला आ रहा था जिसके निपटारे हेतु राज्य सरकार की मध्यस्थता में इस आशय का समझौता हुआ की पटेलान को निश्चित मुआवजा अदा कर दिया जावे तथा इसके बदले भूमि काबिज आदिवासी ग्राम भाटपुर के खाते दर्ज कर दी जावे । मौके पर काबिज स्थिति एवं मुआवजा भुगतान के क्रम में भूमि खाते डालते समय वर्तमान खाता सख्या 8/8 जमाबन्दी सम्वत 2049–52 में दर्ज भूमि किता 7 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा में वादी के पिता सा नाम होमजी के बजाय सेहवन से रामा मीणा एवं निवासी डूंगरपुर इन्द्राज हो गया है। उक्त भूमि पर वादी अपने पूर्वज के समय से आज तक काबिज होने से वादी के नाम की घोषणा की जाकर तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जावे। वादी ने वाद के साथ धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी ने अपने जवाब में सिरे से वाद को खारिज करने प्रति उत्तर दिया साथ में न्यायालय को वादी उक्त भूमि को स्वयं स्वयं साबित करे। इस पर वाद विचरित कर वाद के निर्णय हेतु निम्न तनकीयात कायम की गई।

पर वादी व उसका भाई उनके बाप–दादाओ के समय से काबिज काश्त होने से वादी उक्त भूमि की घोषणा व एंव दुरुस्ती इन्द्राज कराने का अधिकारी है– वादी

2 आया वाद वर्णित खाते का खातेदार अमरा पिता रामा का निवास स्थान डूंगरपुर होकर जाति व मीणा नही हो वादी समान नाम का उपयोग कर भूमि खाते दर्ज करना चाहता है जिससे वाद खारिज योग्य है। —प्रतिवादी

3 राहत

वादी की ओर से वादी स्वयं के बयान पीडब्ल्यू–1 कराते हुए जामबंदी प्रदर्श पी.1, नामान्तरकरण प्रदर्श पी–2 खतौनी जामाबंदी प्रदर्श पी–3 को प्रदर्शित करवाया गया। इसके अलावा श्री बाबूलाल पिता कमाला मीणा को पीडब्ल्यू–2 एवं श्री केशवलाल पिता तेजा मीणा को पीडब्ल्यू–3 के रूप में परिशित कराया गया। प्रतिवादी को अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी साक्ष्य प्रस्तुत नही की ।

वादी के अभिभाषक एवं पेराकार सरकार की बहस समायत की गई। वादी के योग्य अभिभाषक का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर वादी अपने पूर्वजो के समय से आज तक अविरल रूपेण काश्त काबिज है। ग्राम भाटपुर के आदिवासी एवं ग्राम नवाडेरा के पटेलान के मध्य चले विवाद के मध्य निपटारे हेतु प्रशासन की मध्यस्थता में हुए समझौते के अनुरूप वादी ने वाद ग्रस्त भूमि का तय मुआवजा राशि जमा करा दी थी जिससे उक्त भूमि को वादी के खाते की गई। भूमि खाते दर्ज करते समय कार्मिकों की भूल के कारण वादी का नाम अमरा के साथ पिता का नाम सेहवन से रामा दर्ज करते हुए निवास डूंगरपुर दर्ज कर दिया जबकि वास्तव में वादी के पिता का नाम होमजी होकर निवासी भाटपुर है। उक्त भूमि पर वादी का अरसे दराज से कब्जा काश्त होने से तथा मुआवजा भूगतान हो जाने से वाद ग्रस्त भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में हुई त्रुद्रि को शुद्ध किया जावे। वादी के योग्य अभिभाषक का यह भी कहना है कि वादी के वाद मे प्रस्तुत स्वतंत्र गवाहन ने भी समर्थन किया हैं तथा वादी मुलतः ग्राम भाटपुर का निवासी होकर आदिवासी परिवार का सदस्य हैं जिससे वाद स्वीकार किया जावे। उपस्थित पेरोकार सरकार वादी के वाद एवं बहस के क्रम में कोई ठोस तर्क प्रस्तुत नही कर पाये तथा प्रस्तुत जवाब कोही आधार बनाया।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। धारा 80 (2) जा.दी. का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वाद निर्णय निम्नानुसार है।

तनकी संख्या–1 इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने अपने स्वयं के बयान पीडब्ल्यू–1 कराते हुए दस्तावेज प्रदर्श–1 लगायत 3 तक प्रदर्शित कराये है। इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र गवाह के रूप में श्री बाबूलाल पीडब्ल्यू–2 एवं श्री अमरा पीडब्ल्यू–3 के बयानात करवाये है। गवाहान ने अपने द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र को सही होना स्वीकार करते हुए वाद ग्रस्त भूमि पर वादी का ही अरसे दराज से कब्जा काश्त होना स्वीकार किया हैं तथा वादी के पिता का नाम रेकार्ड में गलत रूपेण रामा दर्ज होना तथा सही नाम होमजी होकर

निवास भाटपुर होना स्वीकार किया है। गवाहान के बयानों के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पर वादी अपने पूर्वज के समय से काबिज काश्त होना प्रमाणित है। वादी के पुराने कब्जे काश्त तथा आज तक के अविरल काश्त कब्जे के आधार पर वादी वाद ग्रस्त भूमि की घोषणा कराने का भी अधिकारी बन जाता है। वादी वाद ग्रस्त भूमि बाबत् राजस्व रेकार्ड में हुए गलत अंकन को शुद्ध कराने का अधिकारी ठहरता है। वादी ने अपने नाम जारी अमरा कटारा पिता होमजी कटारा मु. भाटपुर का आधार कार्ड नंबर 5763 8226 2285 की छाया प्रति एवं फोटो पहचान पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत की। वादी द्वारा उक्त तनकी को अपने पक्ष में प्रमाणित कराने से इस तनकी का निर्णय बहक वादी के पक्ष में किया जाता है।

तनकी नं.–2 इस तनकी का भार प्रतिवादी पर था। इस तनकी के क्रम में प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब के अतिरिक्त बावजूद अवसर प्रदान करने के न्यायालय में कोई ठोस साक्ष्य अथवा सबूत प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादी इस तनकी को प्रमाणित कराने में असफल रहा है।

तनकी नं.–3 उक्त तनकीवार किये गये विवेचना के क्रम में वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा वाद ग्रस्त भूमि मौजा भाटपुर के खाता सं. 8/8 जमाबंदी सम्वत 2049–52 में दर्ज आराजीयात खसरा संख्या 100,101,286,287, 299, 314, एवं 406 किता 7 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा का खातेदार वादी को घोषित करते हुए उक्त खाते में वादी अमरा के पिता नाम रामा के बजाय होमजी तथा साकिन डूंगरपुर के बजाय भाटपुर करने का आदेश दिया जाता हैं। मुताबिक निर्णय डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2018 को लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल में शुमार होकर नंबरो से कम की जावे।

31.12.18

(वरसिंह गरासिया)
उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर